प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या : 60/2021, दिनांक–14.04.2021

आदेश

कोविड–19 के बढ़ते केसेस को दृष्टिगत् रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने पूर्व पत्र सं0–1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–05.04.2021 में दिनांक–06.04.2021 से अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायालय के कार्य हेतु दिए गए निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए पत्र सं0–1944/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–14.04.2021 के माध्यम से न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः पत्र सं0–1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–05.04.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु पारित किए गए प्रशासनिक आदेश सं0–53/2021, दिनांकित–05.04.2021 में , माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र दिनांकित–14.04.2021 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के अनुसार जनपद न्यायालय, सम्भल में दिनांक–**15.04.2021** से निम्नलिखित न्यायालय Physical mode/video conferencing के माध्यम से निम्न वर्णित न्यायिक कार्य निष्पादित करेंगे–
   - ए. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/परिवार न्यायालय,
   - बी. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/विद्युत अधिनियम,
   - सी. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप एण्ड पॉक्सो)/विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.एक्ट./गैंगस्टर एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट
   - डी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
   - ई. न्यायालय सिविल जज(सी0डि0), चन्दौसी,
   - एफ. न्यायालय सिविल जज(सी0डि0), सम्भल स्थित चन्दौसी,
   - जी. न्यायालय सिविल जज(जू0डि0), सम्भल स्थित चन्दौसी,
   - एच. न्यायालय सिविल जज(जू0डि0),/न्या0मजि0, बाह्य न्यायालय सम्भल,
   - आई. न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्या0मजि0, बाह्य न्यायालय गुन्नौर

2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपरोक्त न्यायालयों द्वारा अग्रिम आदेश तक (जहॉ तक सम्भव हो) निम्नलिखित प्रकृति के कार्य सम्पादित किए जायेंगे–
   - ए. लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - बी. लम्बित व फ्रेश अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - सी. आवश्यक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - डी. निषेधाज्ञा मामलों एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - ई. न्यायिक कार्य/विचाराधीन बन्दियों से संबंधित रिमाण्ड कार्य,
   - एफ. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में शीघ्र निस्तारण हेतु दिए गये निर्देशों से संबंधिते सभी वादों/मामलों से संबंधित कार्य।
   - जी. अन्य प्रकृति के मामलों से संबंधित कार्य, जिन्हें जनपद न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय आवश्यक एवं उचित समझें,

3. न्यायिक सेवा केन्द्र(सेन्ट्रेलाइज फाइलिंग काउन्टर) पर सभी नये वाद तथा प्रार्थना–पत्र अधिवक्तागण/वादकारीगण से प्रत्येक कार्य दिवस में 12.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। जनपद न्यायालय की डेडीकेटेड ई–मेल–districtcourtsambhal@gmail.com के माध्यम से भी दोपहर 12.00 बजे तक जमानत प्रार्थना–पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अथवा अन्य अति आवश्यक प्रार्थना–पत्र व लिखित बहस प्राप्त किये जा सकेंगे, 12.00 बजे

के उपरान्त ई–मेल पर प्राप्त होने वाले संबंधित आवेदनों को अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात् उक्त नये वादों व प्रार्थना–पत्रों को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता एवं वादकारियों का विवरण एवं मोबाइल नम्बर, ईमेल आई.डी. अंकित किया जाना आवश्यक होगा। कोई कमी होने पर संबंधित अधिवक्ता को उसी दिन सूचित किया जायेगा, सिस्टम ऑफीसर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4. कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा ई–कोर्ट ऐप्प के माध्यम से कार्य किए जाने के संबंध में न्यायिक सेवा केन्द्र में आने वाले सभी अधिवक्ताओं को अवगत करायेंगे, जिससे कि वे अपने सूचीवद्ध मामलों/केस लिस्ट का ऐप्प के माध्यम से अवलोकन कर सकें।
5. न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु केवल चार कुर्सियॉ पर्याप्त दूरी पर रखी जायेंगी।
6. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग कराई जायेगी।
7. सभी कर्मचारीगण न्यायालय/कार्यालय में मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे एवं न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अनिवार्य रूप से पहनने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।
8. केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय कक्ष के बाहर हैण्ड वॉश व सेनेटाइजर रखा जाना सुनिश्चित करें।
9. सिस्टम ऑफीसर दिन–प्रतिदिन न्यायालय में लगने वाले वाद व न्यायालय की प्रोसीडिंग को सी.आई.एस. पर अपडेट करेंगे।
10. जमानत प्रार्थना–पत्रों/अग्रिम जमानत प्रर्थना–पत्रों की प्रतियॉ अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता को प्राप्त कराये जाने के लिए व्यवस्था की जानी है, जिसके संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) और जिला शासकीय अधिवक्ता(दीवानी) का ईमेल लेकर उन पर जमानत प्रार्थना–पत्रों एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों व अन्य आवश्यक प्रार्थना–पत्रों की प्रतियॉ प्राप्त कराये जाने हेतु अपलोड की जायेंगी।
11. वादीकारीगण एवं अधिवक्तागण की सहायता हेतु डेडीकेटेड हेल्पलाइन टेलीफोन नं0–05921252119 सृजित किया गया है, जिसकी सूचना जनपद न्यायालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त डेडीकेटेड हेल्पलाइन टेलीफोन के माध्यम से केस लिस्ट में दर्ज किए गए वादों, टाइम स्लॉट आदि के संबंध में वांछित सूचनायें संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायेंगी तथा उन्हें ईकोर्ट्स ऐप्प के माध्यम से केस स्टेटस/केस लिस्ट में दर्ज किए वादों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अवगत कराया जायेगा, जिससे कि उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाने हेतु वादकारीगण व अधिवक्तागण को और अधिक जागरूक किया जा सके। इसके अतिरिक्त संबंधित न्यायालयों के कर्मचारीगण द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिक के माध्यम से कार्य करने के संबंध में भी हितधारकों को अवगत कराया जायेगा।
12. जहॉ तक सम्भव हो, न्यायालय की कार्यवाही **JITSI Video-conferencing software** के माध्यम से की जायेगा।
13. वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायालय का कार्य किए जाने की स्थिति में संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग लिंक विद्वान् अधिवक्ता/अभियोजन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।
14. प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण, आदेश पारित करने/अपलोड करने, बेल वॉन्ड्स स्वीकार करने, रिलीज ऑडर जारी करने के संबंध में संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा लोकल मैकेनिज्म तैयार किया जायेगा।
15. संबंधित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु अभियोजन एवं जेल प्राधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।
16. न्यायालय परिसर में केवल ऐसे विद्वान् अधिवक्तागण एवं वादकारीगण प्रवेश करेंगे, जिनके केसेस/मामले सुनवाई हेतु नियत किए गए हों तथा विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा कार्य पूर्ण होते ही न्यायालय परिसर छोड़ दिया जायेगा।
17. संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार

कम–से–कम कर्मचारीगण को कार्य करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे, जिनकी संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

18. प्रभारी अधिकारी विवरण (स्टेटमेन्ट) निस्तारित होने वाले वादों और प्रार्थना–पत्रों के संबंध में सूचना प्रतिदिन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाईट पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार–पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

नोट– उपरोक्त समस्त व्यवस्था बाह्य न्यायालय सम्भल एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर में भी पीठासीन अधिकारी/उपनाजिर द्वारा करायी जानी सुनिश्चित की जाये।

(सतीश कुमार–II)
जनपद न्यायाधीश, 14/4/2021
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्भल,

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी। 14/4/2021